सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

वाद संख्याः– 133 / प्रा0पत्र / 2024

दायरा दिनांक :–11.07.2024

GCMS ID–2024 / 209

उनवान

1. एजन पुत्री कजोड जाति मीणा निवासी विजयगढ तहसील हिण्डोली।
2. कमला पुत्री कजोड जाति मीणा निवासी विजयगढ तहसील हिण्डोली।
3. गोपाललाल आ0 कजोड जाति मीणा निवासी विजयगढ तहसील हिण्डोली।
4. नटी पुत्री कजोड जाति मीणा निवासी विजयगढ तहसील हिण्डोली।
5. प्रेम पुत्री कजोड जाति मीणा निवासी विजयगढ तहसील हिण्डोली।
6. पार्वती पत्नी गोपाल जाति मीणा निवासी विजयगढ तहसील हिण्डोली।
7. फोरू आ0 उदा जाति मीणा निवासी विजयगढ तहसील हिण्डोली।
8. मीरा पत्नी रामधन जाति मीणा निवासी विजयगढ तहसील हिण्डोली।
9. रमेश आ0 कजोडलाल जाति मीणा निवासी विजयगढ तहसील हिण्डोली।
10. रामकुवार आ0 उदा जाति मीणा निवासी विजयगढ तहसील हिण्डोली।
11. रामधन आ0 कजोड जाति मीणा निवासी विजयगढ तहसील हिण्डोली।
12. रामलक्ष्मण आ0 कजोड जाति मीणा निवासी विजयगढ तहसील हिण्डोली।
13. सुमित्रा पत्नी रामलक्ष्मण जाति मीणा निवासी विजयगढ तहसील हिण्डोली।
14. सीताबाई पुत्री कजोडलाल जाति मीणा निवासी विजयगढ तहसील हिण्डोली।
15. सोराज आ0 उदा जाति मीणा निवासी विजयगढ तहसील हिण्डोली।

प्रार्थीगण

बनाम

1. कैलाश आ0 मांग्या जाति मीणा निवासी विजयगढ तहसील हिण्डोली।
2. जडाव पत्नी मांग्या जाति मीणा निवासी विजयगढ तहसील हिण्डोली।
3. दयाला आ0 मांग्या जाति मीणा निवासी विजयगढ तहसील हिण्डोली।
4. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार हिण्डोली जिला बून्दी राज।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र :– राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 (क) के तहत
वकील प्रार्थी :– श्री चन्द्रप्रकाश जैन
वकील अप्रार्थीगण :– एक पक्षीय कार्यवाही

आदेश

दिनांक : 23.05.2025

प्रार्थीगण का मुख्य रूप से कथन है कि भूमि खाता संख्या 17 खसरा संख्या 327, 346, 354 कुल किता 3 कुल रकबा 0.8336 हैक्टेयर वाके ग्राम विजयगढ पटवार मण्डल

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

विजयगढ में विस्थित है, जो प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है, जिस पर प्रार्थीगण निरन्तर निर्बाध रूप से काबिज काश्त चले आ रहे है। प्रार्थीगण की उक्त भूमि में आने जाने हेतु एक रास्ता बना हुआ है, तथा उक्त रास्ता डामर रोड हिण्डोली से विजयगढ जाने वाली पक्की सडक से होता हुआ ग्रेवल सडक खसरा संख्या 359 तक आ रहा है, तथा ग्रेवल सडक से अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 की खाते की भूमि खसरा संख्या 357 से निकलता हुआ सिवायचक भूमि खसरा संख्या 356 से होता हुआ प्रार्थीगण की भूमि खसरा संख्या 346 पर आता जाता है, जिस पर होकर प्रार्थीगण अपनी भूमियों पर आते जाते है। उक्त रास्ता मौके पर मौजूद है, परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में अंकित नहीं है, अप्रार्थीगण 1 लगायत 3 द्वारा उक्त रास्ते पर अतिक्रमण कर रास्ते का अपनी तरफ से सिकुडा दिया है, तथा बन्द करने के फिराक में है, भविष्य में किसी भी व्यक्ति से रास्ता सम्बन्धित विवाद नहीं हो इसलिए प्रार्थीगण के आने जाने के मौजूदा रास्ता 15 फिट को राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता घोषित किया जाकर दर्ज किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है। प्रार्थी को अपने खेतों तक आने जाने हेतु 251 ए आर0टी0एक्ट के तहत रास्ता घोषित करवाने का अधिकार है। इस हेतु प्रार्थी नियमनानुसार रास्ते हेतु उपयोग होने वाली भूमि की कीमत जमा करवाने हेतु तैयार है। उक्त मौजूदा रास्ते को प्रार्थीगण ने राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किय जाने हेतु पूर्व में तहसीलदार साहब ने निवेदन किया था परन्तु उनके द्वारा उपखण्ड न्यायालय में कार्यवाही किये जाने की कहने पर प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश है। प्रार्थीगण की खाते की भूमि ग्राम वियजगढ तहसील हिण्डोली में विस्थित होने से माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र के श्रवणाधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र निर्धारित न्याय शुल्क व तलबाने पर प्रस्तुत है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थीगण की भूमि खसरा संख्या 346 वाके ग्राम विजयगढ तहसील हिण्डोली में आने जाने हेतु ग्राम हिण्डोली से विजयगढ जाने वाली पक्की सडक से ग्रेवल सडक खसरा संख्या 359 से अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 की खाते की भूमि खसरा संख्या 357 व सिवायचक भूमि खसरा संख्या 356 में से 15 फिट चोडा रास्ता घोषित कर राजस्व रिकॉर्ड विजयगढ में दर्ज करने के आदेश फरमावे व उक्त रास्ते को बहाल करवावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं0 1 से 04 बावजूद तामिलो के अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। अप्रार्थी सं0 5 सरकार की ओर से तहसीलदार हिण्डोली की ओर से पत्रांक :—राजस्व/25/1225 दिनांक :—13.05.2025 से प्रस्तावित रास्ते के बाबत जॉच रिपोर्ट पेश की जो शामिल मिसल है।

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी जाकर बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को पर मनन किया। वकील प्रार्थी ने दौराने बहस कहा कि प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि खसरा संख्या 346जो कि प्रार्थीगण की सहखातेदारी भूमि वाके ग्राम विजयगढ पटवार मण्डल विजयगढ में आने जाने हेतु भूमि खसरा संख्या 357 जो कि अप्रार्थीगण 1 लगायत 3 की खातेदारी में है व ख0सं0 394 राजकीय सिवायचक भूमि है, में से होते हुए 15 फुट चौडा रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में घोषित किया जावे। इस बाबत तहसीलदार हिण्डोली द्वारा जो प्रस्तावित रास्ता बताया गया है, उसकी घोषणा की जावे। प्रार्थीगण इस बाबत निर्धारित प्रतिकर राशि जमा कराने को तैयार है। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार फरमाया।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बूंदी (राज.)

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर ध्यानपूर्वक मनन किया गया। प्रकरण मे तहसीलदार हिण्डोली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तहसीलदार हिण्डोली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु खसरा संख्या 357 खातेदारी भूमि व खसरा सं0 359 सिवायचक भूमि में से 15 फिट चौडा रास्ता प्रस्तावित किया गया है।

—: क्रियात्मक आदेश :—

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि खाता संख्या 17 के खसरा संख्या 346 वाके ग्राम विजयगढ पटवार मण्डल विजयगढ में आने—जाने हेतु तहसीलदार हिण्डोली से प्राप्त प्रस्तावित रास्ते की रिपोर्ट अनुसार ग्राम विजयगढ के खसरा 357 (अप्रार्थी सं0 1, 2, 3 की खातेदारी) में से 15 फीट चौडे रास्ते में कुल 0.0081 हैक्टेयर भूमि व भूमि खसरा सं0 359 (राजकीय सिवायचक) में से 15 फीट चौडे रास्ते में कुल 0.04 है0 भूमि काम में आवेगी। प्रस्तावित नक्शे अनुसार रास्ता घोषित किया जाता है। प्रस्तावित रास्ते में आने वाली भूमि खसरा 357 (अप्रार्थी सं0 1, 2, 3 की खातेदारी) की डीएलसी राशि 760000/रू— प्रति हैक्टेयर है जिसमें से प्रस्तावित रास्ते में आने वाली भूमि भूमि 0.0081 हैक्टेयर भूमि की डी0एल0सी0 राशि 61560/रू— जिसकी दुगनी प्रतिकर राशि 123120/रू— का भुगतान प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण को करने/डी0डी0 न्यायालय में पेश करने व भूमि खसरा सं0 359 (राजकीय सिवायचक) की डीएलसी राशि 760000/रू— प्रति हैक्टेयर है जिसमें से प्रस्तावित रास्ते में आने वाली भूमि 0.04 हैक्टेयर भूमि की डी0एल0सी0 राशि 30400/रू— जिसकी दुगनी प्रतिकर राशि 60800/रू का भुगतान प्रार्थीगण द्वारा निर्धारित मद में राजकोष में जमा करवाकर चालान की प्रति न्यायालय में पेश करने उपरान्त निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार हिण्डोली को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

निर्णय आज दिनांक :— 23.05.2025 को सरे इजलास खुलेआम सुनाया गया।

23/05/2025

(शिवराज मीणा)
आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446